उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

सरफेसी केस नं0–49 / 2019

प्राधिकृत अधिकारी–सह–चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, झुमरीतिलैया शाखा, बनाम गुरू नानक ऑटो सेन्टर प्रो0– गुरमीत सिंह एवं 01 अन्य।

आदेश

09 2/21

प्राधिकृत अधिकारी–सह–चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, झुमरीतिलैया शाखा द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा–14 के अन्तर्गत गुरू नानक ऑटो सेन्टर प्रो0– गुरमीत सिंह(कर्जदार), एवं श्री जितेन्द्र सिंह(जमानतकर्ता) दोनों के पिता–स्व0 गुरुवचन सिंह, पता– भरैच भवन, गुरूनानक पुरा, पोस्ट–झुमरीतिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा के विरूद्ध सरफेसी वाद दायर किया गया है।

इलाहाबाद बैंक, झुमरीतिलैया शाखा से प्रतिवादी गुरू नानक ऑटो सेन्टर प्रो0– गुरमीत सिंह द्वारा राशि 25,00,000 / – (पच्चीस लाख) रुपये ऋण लिया जो दिनांक 01.04.2018 को सूद सहित 27,99,068 / – रुपये हो गया। ऋण वापसी हेतु बैंक के द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया, परन्तु कर्जदार गुरू नानक ऑटो सेन्टर प्रो0– गुरमीत सिंह द्वारा ऋण भुगतान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

बैंक द्वारा बंधक रखी गई मौजा– बेलाटाँड़, खाता संख्या–09, प्लॉट संख्या–33, रकवा 960 वर्ग फीट, चौहद्दी– उ0 महेन्द्र सिंह भाटिया, द0 परती भूमि, पू0 कच्चा रास्ता, प0 गली की भूमि का Physical Possession लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा द्वारा धारा–13(2) सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत नोटिस, धारा–13(4) के अन्तर्गत Possession नोटिस की छायाप्रति संलग्न की गई है।

आवेदन का अवलोकन कर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया। दिनांक 06.02.2020 को बहस के दौरान बैंक की ओर से विपक्षी को पुनः नोटिस निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया। नोटिस निर्गत कर तामिला हेतु विपक्षी के पास भेजा गया जो बिना तामिला के अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को वापस कर दिया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना।

इलाहाबाद बैंक, झुमरीतिलैया शाखा से लिये गये ऋण एवं उधार को चुकता करने हेतु उनके द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई बन्धक सम्पति को कब्जे (Possession) में लेने और इसे Secured Creditor इलाहाबाद बैंक, झुमरीतिलैया शाखा को अग्रसारित करने के पर्याप्त साक्ष्य एवं कारण मौजूद है।

अतः SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS

AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (2) के अन्तर्गत इसको कब्जा में लेने और इसे Secured Creditor को अग्रसारित करने का आदेश देता हूँ।

इलाहाबाद बैंक, झुमरीतिलैया शाखा के पक्ष में बंधक रखी सम्पति को अपने कब्जा में लेकर ऋण एवं उधार के चुकता करने हेतु SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (1) एवं 14 (2) के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई करें।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखाायित एवं संशोधित

9/2/21

उपायुक्त,कोडरमा।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त सत्यमेव जयते कोडरमा

9/2/21

उपायुक्त
कोडरमा।

Digitally signed by PARAS NATH YADAV
Date: 2021.10.01 04:35:04 -07:00
Location: 192.168.21.118